NREGA Sangharsh Morcha

Twitter: @NREGA_Sangharsh
Facebook: @NREGASangharshMorcha
Email: nrega.sangharsh.morcha@gmail.com
Blog: https://nrega-sangharsh-morcha.blogspot.com

अन्याय का एक साल: पश्चिम बंगाल में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में चोरी का एक साल

- केंद्र द्वारा नरेगा के **7,500** करोड़ रुपये रोके गए , **2,744** करोड़ रुपये की मजदूरी लंबित
- केंद्र ने **2022-23** के लिए श्रम बजट को मंजूरी नहीं दी है
- काम ठप होने से इस वित्त वर्ष में नरेगा मजदूरी का करीब **3891-6046** करोड़ का नुकसान
- इस वर्ष के लिए काम के औसत दिन **63.46** दिनों (पूर्व-कोविड) और **49.96** दिनों (पोस्ट-कोविड) से घटकर **23** रह गए

मजदूरों का उत्पीड़न:
पश्चिम बंगाल में मनरेगा मजदूरों को 26 दिसंबर 2021 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। नरेगा अधिनियम की धारा 27 को लागू करते हुए 'केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने' के लिए राज्य को 7,500 करोड़ रुपये से अधिक की मनरेगा निधि जारी करने पर रोक लगी है। इस राशि में से 2,744 करोड़ रुपये बकाया वेतन चौंका देने वाले आंकड़े को छू रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व-कोविड वर्षों[1] से नरेगा मजदूरी में कथित नुकसान लगभग 3891 करोड़ और कोविड के बाद के वर्षों[2] की तुलना में 6046 करोड़ रुपये है। वेतन का वर्तमान ठहराव तर्कहीन है और ईमानदारी से अपना काम करने वाले मजदूरों के उत्पीड़न की ओर ले जाता है। इसने गरीब श्रमिकों को भुखमरी के कगार पर भी धकेल दिया है।

मौलिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन:
नरेगा अधिनियम की धारा 27 कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार को "योजना के लिए धन जारी करने को रोकने का आदेश" देने की अनुमति दे सकती है, लेकिन इस प्रावधान को पहले से काम कर चुके मजदूरों को वेतन भुगतान रोकने के लाइसेंस के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। मजदूरों को 15 दिनों के भीतर भुगतान किए जाने का बिना शर्त अधिकार है। धारा 27 में उस पंक्ति को उस समय तैयार किया गया था जब नरेगा कार्य से पहले धन जारी किया गया था। आज, काम पहले आता है, और तब धन प्रभावी रूप से जारी किया जाता है जब केंद्र सरकार सीधे मजदूरों के खातों में वेतन का भुगतान करती है। निधियों को जारी करने से रोकने की अनुमति धारा 27 के तहत भी नहीं दी जा सकती है, जब यह मजदूरों को उनके अधिकारपूर्ण वेतन से वंचित करने का प्रभाव रखता हो।

केंद्र और राज्य दोनों सरकारें राज्य भर में पंजीकृत 3.4 करोड़ श्रमिकों के जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने की दोषी हैं। यह स्वराज अभियान मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत काम और मजदूरी से इनकार भी है। हम समाचार रिपोर्टों से समझते हैं कि भारत सरकार ने मनरेगा के तहत कार्यों के कार्यान्वयन में विसंगतियों की खोज के बाद धन हस्तांतरण रोक दिया है।

भ्रष्टाचार पर आंख मूंदकर, राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य में सत्ताधारी दल के राजनीतिक गुंडों द्वारा मजदूरों की धनराशि को हड़प लिया जाए। 2023 के मध्य में होने वाले पंचायत चुनावों के साथ, नरेगा फंड को लेकर केंद्र-राज्य का गतिरोध राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। जबकि राज्य का दावा है कि सभी सुधारात्मक उपाय

[1] average of 2018-19 and 2019-20
[2] average of 2020-21 and 2021-22

किए गए हैं, केंद्र में बीजेपी पंचायत चुनाव से पहले पैसा जारी करने के लिए अनिच्छुक है। इस राजनीतिक घमासान में पीड़ित मज़दूर हैं जो पिछले एक साल से अपने वेतन से वंचित हैं।

हम प्रोत्साहित करते हैं कि भ्रष्टाचार से निपटने और पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण तंत्र प्रभावी हों। लेकिन, सामाजिक अंकेक्षण के मानक और उसके निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई राज्य और देश भर में काफी हद तक असंतोषजनक है। राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एसईजीसी) और केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद (सीईजीसी)[3] पिछले कुछ वर्षों से अस्तित्व में नहीं हैं। यह न केवल पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों का मजाक बनाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे भारत सरकार अधिनियम का उल्लंघन करते हुए भ्रष्टाचार विरोधी को बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रही है। लीकेज और अनियमितताओं को खत्म करने को अधिनियम की मांग आधारित प्रकृति को कमजोर करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह नरेगा पर सरकार के हमले का सिलसिला है और एक बार फिर नरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की कमी को उजागर किया है।

हमारी मांगें:

हम विशेष रूप से निम्नलिखित मांग करते हैं:

1. केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा फंड तत्काल जारी हो, नए कार्य तुरंत शुरू करना और नए जॉब कार्ड जारी करना।

2. देरी की पूरी अवधि के लिए **0.05%** प्रति दिन की दर से देरी मुआवजे[4] के साथ-साथ सभी मनरेगा मजदूरों की **2,744** करोड़ रुपये बकाया वेतन तत्काल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

3. 2022-23 श्रम बजट की स्वीकृति और हस्तांतरण।

4. योजना में विसंगतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, और सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना।

5. राज्य सरकार को **1000** करोड़ रुपये की एक परिक्रामी निधि शुरू करनी चाहिए जिससे नरेगा मजदूरी का तत्काल भुगतान किया जा सके और केंद्र सरकार से धन प्राप्त करने में भविष्य में देरी या जटिलताओं की स्थिति में मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

6. 2019 से मनरेगा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पत्राचार से संबंधित सभी दस्तावेज, केंद्रीय टीम के दौरे और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सहित, सार्वजनिक किए जाएं।

For further information, please write at nrega.sangharsh.morcha@gmail.com or contact:
Anuradha (9433002064) | Nikhil (9910421260) | Chakradhar (9246522344) | Apurva (9313759050) |

[3] The response to the RTI can be seen here
[4] as per Para 29 of Schedule II of the Act.